212 (2) सरकारी उद्यमों के उन कर्मचारियों को अंतरिम राहत की अदायगी जो अभी भी केन्द्रीय महंगाई भत्ता पैटर्न का अनुसरण कर रहे हैं।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उन उद्यमों के अधिकारी संघ तथा कर्मचारी यूनियनों द्वारा दायर की गई रिट याचिकाओं पर 19.2.86 को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई की गई जो अभी भी केन्द्रीय महंगाई भत्ता पैटर्न का अनुसरण कर रहे हैं और अभी भी औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न तथा संबंधित वेतनमान को अपनाने के लिए सहमत नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिए हैं।

''तदनुसार हम निदेश देते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के पूर्वोक्त उपक्रमों के सभी कर्मचारी जो 1000रू. या इससे कम मूल वेतन आहरित कर रहे हों, वे 1 जनवरी, 1986 से भारत सरकार के अन्य कर्मचारियों की भांति समान आधार और मानकों पर अंतरिम राहत के हकदार होंगे। परन्तु प्रत्येक कर्मचारी द्वारा यह वचन दिया जाएगा कि यदि उनके द्वारा किया गया दावा निष्फल हो जाता है तो वे अपने नियोक्ताओं को उनके अंतरिम राहत की बकाया राशि को वापिस कर देंगे। 1 जनवरी, 1986 से अंतरिम राहत की बकाया राशि का भुगतान इन कर्मचारियों को एक माह के भीतर कर दिया जाएगा।''

ये आदेश संपूर्ण देश में भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों के सभी कर्मचारियों पर शासित होंगे जे वेतनमानों और महंगाई भत्ते के केन्द्रीय पैटर्न का अनुसरण कर रहे हों जो 1000रू. या इससे कम मूल वेतन आहरित कर रहे हों।

2. उद्योग मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले लोक उद्यमों को 18.3.1986 से पहले सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को कार्यान्वित करने के संबंध में सूचित करें।

(7 मार्च, 1986 का लो.उ.वि. का का.ज्ञा.सं. 2(10)/83–बी पी ई.(डब्ल्यू सी)